

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/6688

दिनांक - 11.08.25

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 करनाराम पुत्र कोहलाराम
2 कलु देवी पत्नी
कोहलाराम 3 केशाराम 4
चुनाराम 5 बालाराम 6
भवराराम पिसरान
कोहलाराम जाति जाट
निवासी मुढों का तला
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 गुणोशाराम पुत्र भेराराम 2 जुंजाराम 3 मुकनाराम
पिसरान हीराराम 4 गोमी देवी पत्नी मासिंगाराम 5 चैनी
पत्नी हनुमानराम 6 डालुराम पुत्र मंगलाराम 7 देदाराम
पुत्र पेमाराम 8 भावना पुत्री हनुमानराम 9 वीरमाराम पुत्र
हरदानराम 10 सोनी पत्नी मंगलाराम 11 हनुमानराम:
पुत्र मंगलाराम फौत-11/1- जोगाराम 11/2-
मालाराम 11/3- जुंजाराम पिसरान हनुमानराम
11/4- चिमु पत्नी हनुमानराम 12 चिमाराम पुत्र
बागाराम 13 चुनाराम 14 ताजाराम 15 दुर्गाराम 16
मानाराम 17 हीरों पिसरान जसाराम 18 मगाराम पुत्र
बागाराम 18/1 हनुमानराम पुत्र जसाराम जाति जाट
निवासी मुढों का तला तहसील बाड़मेर 19 मूलाराम 20
गोरधनराम पिसरान डुंगराराम 21 जेताराम 22
पुरखाराम 23 ताजाराम 24 देदाराम 25 मेहाराम
पिसरान फुसाराम जाति जाट निवासी लेगो की ढाणी,
कगाऊ तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :- 153/2025

दिनांक- 05/08/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मुढों का तला पटवार हल्का सनावडा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 1164/1047 रकबा 3.2375 हैक्टेयर, 1165/1047 रकबा 0.5666 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/6689-92

दिनांक- 11.08.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मुढों का तला तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण करनाराम पुत्र कोहलाराम जाति जाट निवासी मुढों का तला तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण गुणोशाराम पुत्र भेराराम जाति जाट निवासी मुढों का तला तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर